**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1322**

**सोमवार, 27 जुलाई, 2026/ 5 श्रावण, 1948 (शक)**

**स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्सिंग क्षेत्र में कल्याण और रोजगार सृजन**

**†1322. श्री एम. के. राघवन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेडिकल कोडिंग और मेडिकल स्क्राइबिंग फर्मों सहित बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर की गई छंटनी से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों की जांच की है कि श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं में हाल ही में हुए बदलावों ने कार्यबल के इस प्रकार के युक्तिकरण में योगदान दिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारियों की संख्या सहित विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए नोटिस मुआवजे और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मेडिकल कोडिंग और मेडिकल स्क्राइबिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): "श्रम" समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सीमांकित अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें कामगारों की समस्याओं का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करती हैं। जो स्थापन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहां केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें सेवामुक्ति, छंटनी और इसकी रोकथाम से संबंधित मामले शामिल हैं।

जारी/2–

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कामगारों के अधिकारों और रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनिवार्य नोटिस अवधि, छंटनी मुआवजा और छंटनी किए गए कामगारों को पुनः रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने के रूप में वैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जो छंटनी किए गए सभी कामगारों पर लागू होते हैं। इस संहिता में पहली बार छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए 'कामगार पुनर्कौशल निधि' की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य छंटनी किए गए कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे इस राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए कर सकें। सामूहिक सौदेबाजी को सुदृढ़ करने के लिए वार्ता संघों/वार्ता परिषदों को वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लाया गया है।

इसके अलावा, जिन औद्योगिक स्थापनों में 300 या उससे अधिक कामगार हैं, उन्हें ले-ऑफ, छंटनी और स्थापन बंद करने के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

*****